Summary: Draft Resettlement Plan

सार : पुनर्वास योजना का प्रारूप

Project Number: 47176
प्रोजेक्ट नंबर : 47176
March 2017
मार्च 2017

Project Loan
प्रोजेक्ट ऋण

India: Delhi Water Supply Improvement Investment Program
भारत: दिल्ली जल आपूर्ति सुधार निवेश कार्यक्रम

Subproject: Distribution System Improvement-for UGR Command Areas C-02 and C-03.
उप-परियोजना / सब-प्रोजेक्ट : UGR के कार्यभार क्षेत्रों / कमांड एरिया, C-02 और C-03, में वितरण प्रणाली में सुधार

Package 1, Project 1
पैकेज 1, प्रोजेक्ट1

Prepared by the Delhi Jal Board for the Asian Development Bank.
दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए तैयार किया गया

This is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB's Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature.
यह दस्तावेज ऋण प्राप्तकर्ता का है. यह आवश्यक नहीं है कि इसमें प्रस्तुत विचार ADB के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, या स्टाफ के हों, और हो सकता है यह शायद आरंभिक प्रकृति / प्रकार के हों.

EXECUTIVE SUMMARY

कार्यकारी सार

1. The Delhi Water Supply Improvement Investment Program (DWSIIP) will be implemented over a six-year period and will improve the infrastructure, management and performance of the water supply services in the proposed Wazirabad Water Treatment Plant (WTP) command area located in North Delhi. The investment program will include the rehabilitation, upgrading and/or replacement of key water supply infrastructure, improvements in the management of the infrastructure and improved customer related services within the Wazirabad WTP command area. The DWSIIP will be implemented as a multi-tranche financing facility (MFF) having two projects.

दिल्ली जल आपूर्ति सुधार निवेश कार्यक्रम (DWSIIP) छह वर्षों के दौरान लागू किया जायेगा और यह उत्तर दिल्ली में स्थित प्रस्तावित वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) के कार्यभार क्षेत्र (कमांड एरिया) में इंफ्रास्ट्रक्चर / ढांचागत तथा जल आपूर्ति सेवाओं के प्रबंधन और कार्य निष्पादन में सुधार करेगा DWSIIP, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मास्टर प्लान[1] के गैर-आमद वाले जल में कमी तथा जल आपूर्ति सेवाओं तक एक-सामान पहुँच, के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा. निवेश कार्यक्रम में वजीराबाद WTP के कार्यभार क्षेत्र (कमांड एरिया) के तहत प्रमुख जल आपूर्ति की प्रमुख संरचनाओं / ढांचे का पुनार्स्थापन, अपग्रेडिंग / उन्नतीकरण और / या रिप्लेसमेंट / बदलाव, करना शामिल होगा. DWSIIP, एक मल्टी-ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी / [अनेक श्रंखला / सीरीज वाली वित् सुविधा के रूप में लागू की जाएगी (MFF), जिसमें दो प्रोजेक्ट्स होगें.

2. This resettlement plan is prepared for Package 1, Project 1, distribution system improvement, UGRs, booster stations, DMA feeder mains and distribution pipes, bulk flow meters and customer connections for UGR command areas C-02 and C-03. It addresses the temporary impacts of the proposed subproject components. The resettlement plan has been preandpared within the resettlement framework for the project.

यह पुनर्वास प्लान, UGR कमांड एरिया C-02 तथा C-03 के, पैकेज 1, प्रोजेक्ट 1, वितरण प्रणाली सुधार, UGRs, बूस्टर स्टेशन, DMA फीडर मैं / निकास और वितरण पाइप, बड़े-प्रवाह के मीटर और ग्राहक कनेक्शन, के लिए तैयार किया गया है। यह प्रस्तावित घटकों के अस्थायी प्रभावों को संबोधित करता है। पुनर्वास योजना परियोजना के पुनर्वास ढांचे के भीतर तैयार की गई है।

3. Based on the census survey, 36 displaced households (174 displaced persons) with temporary impacts have been assessed assuming the contractor is unable to maintain access and ensure livelihood protection.

गणना सर्वे के आधार पर, 36 विस्थापित परिवारों (174 विस्थापित व्यक्तियों) पर अस्थाई प्रभाव का आंकलन यह मानते हुए किया गया है कि ठेकदार, इन तक पहुँच और जीवनयापन की सुरक्षा को बनाये रखने में असक्षम है.

4. The socioeconomic profile of the impacted population is provided in chapter 3. Amongst the vulnerable groups, there is one family below poverty line; there are 3 women headed households; 6 households which are headed by persons above 60 years of age and 6 scheduled caste households. Of the vulnerable category there are 4 households where there is an overlap of vulnerability.

प्रभावित जनसँख्या की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल / वृतांत अध्याय 3 में प्रदान की गयी है. संवेदनशील समूहों में, एक परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, 3 घर / परिवार महिला मुखिया वाले हैं, 6 घर / परिवार ऐसे हैं जिनके मुखिया 60 वर्ष से अधिक उम्र और 6 परिवार अनुसूचित जाति के हैं. संवेदनशील वर्ग में 4 परिवार ऐसे है जिनमें संवेदनशीलता अधिक करके है.

5. Consultations were conducted throughout the project area in the form of focus group discussions and interviews during surveys and transect walk. Focus group discussions (FGDs) were conducted in over 15 locations. The FGDs focused on identifying the likely impacts of the construction activities on commercial establishments along the road. Though the construction activity will not involve any land acquisition, it may lead to disruption of access. At all locations, the people did not have any objection to construction of pipelines. The need to access clean and reliable supply of water, is what the people want. Any inconvenience caused due to construction activities was not considered as an issue as even in the worst case scenario, there will be adequate space for pedestrian movement. Information will be disseminated to DPs at various stages, including the project implementation period. For the benefit of the community in general and DPs in particular, a summary of the resettlement framework and each resettlement plan will be made available in Hindi during consultation meetings and will be disclosed in public places prior to project appraisal. This will enable stakeholders to provide inputs on the resettlement process, prior to the award of civil work contracts. Copies of the resettlement plan in Hindi will also be made available at: (i) office of the PIU, (ii) the Deputy Commissioners Office, and (iii) local level offices. A report of disclosure, giving details of the date and location will be shared with the ADB.
सर्वे और ट्रांसेक्ट वाक्स (एरिया में घूम फिर कर) के दौरान समूह केन्द्रित चर्चा और इंटरव्यू के माध्यम से, पूरे प्रोजेक्ट एरिया में सलाह-मशवरा / परामर्श किया गया था. 15 स्थानों पर समूहकेन्द्रित चर्चा की गयी थी. समूहकेन्द्रित चर्चा, सड़क के साथ किनारे, व्यवसायिक भवनों / एस्टेबिलिश्मेंट पर निर्माण गतिविधियों के संभवित प्रभाव की पहचान करने पर केन्द्रित थी, जबकि निर्माण गतिविधी में कोई भूमि अधिग्रहण शामिल नहीं होगा, फिर भी यह आवाजाही में बाधा का कारण बन सकता है. सभी स्थानों पर, लोगों को पाइप लाइनों के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं थी. लोग तो बस यही चाहते हैं कि साफ पानी और भरोसेमंद आपूर्ति की जरूरत पूरी हों. निर्माण गतिविधी के दौरान पैदा होने वाली कोई भी असुविधा को इस समस्या के रूप में माना नहीं गया, बदतर हालत में, पैदल आने जाने के वालों के लिए पर्याप्त स्थान होगा. प्रोजेक्ट की क्रियान्वन अवधी को शामिल करते हुए, DPs को विभिन्न अवस्थाओं पर सूचना प्रचारित कर दी जाएगी. समुदाय के लिए सामन्य रूप से फाएदे के लिए और DPs के लिए विशेषतौर पर, पुनर्वासन सांचे और प्रत्येक पुनर्वासन प्लान को परामर्श बैठकों के दौरान हिंदी में उपलब्ध करवाया जायेगा और प्रोजेक्ट की अप्रैज़ल / अनुसंशा के पहले सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाशित किया जायेगा.इससे,सिविलवर्क कॉन्ट्रैक्ट के नामित होने के पहले भागीदार / हिस्सेदार, पुनर्वास प्रक्रिया में सुझाव दे सकेगें. पुनर्वास प्लान की प्रतिलिपि : (i) PIU के कार्यालय, (ii) उपायुक्त कार्यालय, (iii) स्थानीय स्तर के कार्यालय में उपलब्ध होगीं. प्रकटीकरण की रिपोर्ट, जिसमें तिथि और स्थान के विवरण होगें वो ADB के साथ सांझी की जायेगीं.

6. A program-specific GRM will be established to receive, evaluate, and facilitate the resolution of affected persons' concerns, complaints, and grievances about the social and environmental performance at the level of the project. The PIU will, through the CMRC conduct awareness campaigns to ensure that poor and vulnerable households are made aware of

grievance redress procedures and entitlements. Affected persons will have the flexibility of conveying grievances/ suggestions by dropping grievance redress/ suggestion forms in complaints/ suggestion boxes to be installed by DJB or by e-mail, or by registering complaints on the DJB website or by post, or by writing in a complaints register in the PIU office or at construction site offices. The PIU safeguards officer will have the overall responsibility for timely grievance redress on environmental and social safeguards issues and for registration of grievances, related disclosure, and communication with the aggrieved party.

प्रोजेक्ट स्तर सामाजिक और पर्यावरणीय कार्य निष्पादन के बारे में प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं, शिकायतों, और कष्ट-विपति, प्राप्त करने, आंकलन करने, उनके के समाधान करने के लिए प्रोग्राम सम्बंधित GRM, स्थापित किया जायेगा. PIU, CMRC के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलायेगा कि निर्धन और संवेदनशील परिवारों को शिकायत निपटाने (शिकायत के समाधान करने की) प्रक्रिया और उनके हक़ के बारे में जागरूक किया जाए.प्रभावित व्यक्ति, DJB के द्वारा लगाये गये शिकायत / सुझाव डिब्बों में शिकायत / सुझाव फॉर्म डालकर, या ई-मेल के द्वारा, या DJB की वेबसाइट पर या डाक द्वारा, या PIU कार्यालय में शिकायत रजिस्टर में लिखने के द्वारा, शिकायत / सुझाव के बारे में अवगत करवा सकते हैं. PIU के सुरक्षाउपाय अधिकारी पर समय पर पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा उपायों की समस्याओं, तथा असंतुष्ट पक्ष की शिकायत दर्ज करने, सम्बंधित प्रकटीकरण, एवं सवांद करने की जिम्मेदारी होगी.

7. The investment program entitlement policy addresses the direct and indirect impacts of works construction and operation on DPs, households and communities. The most direct and immediate impacts are those associated with works construction for this sub project. Mitigation is provided through compensation and assistance to DPs based on the resettlement framework by the DWSIIP. The impacts due to this subproject include only temporary income loss to shop owners/tenants with permanent structures. Impacts to vulnerable persons among them are also anticipated.

निवेश कार्यक्रम की हकदारी नीति, काम के निर्माण और परिचालन के DPs, परिवारों और समुदाय पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का समाधान करती हैं.सबसे अधिक प्रत्यक्ष और तत्कालीन प्रभाव वे हैं जो इस उप-परियोजना (सब-प्रोजेक्ट) के लिए कार्य निर्माण से सम्बंधित हैं. पुनर्वास सांचे / ढांचे के आधार पर DWSIIP के द्वारा, मुआवजे और सहायता के माध्यम से DPs को राहत प्रदान की जाति है. इस उप-परियोजन प्रभाव के कारण से, दुकान मालिकों / किरायदारों को होने वाली केवल अस्थाई आमदनी की हानि नहीं शामिल नहीं है इसमें स्थाई भवनों / स्ट्रक्चर्स को होने वाली हानि भी शामिल हैं. सवेंदनशील व्यक्तियों पर प्रभाव का भी पूर्वानुमान उनके बीच लगाया जाता है.

8. There is no land acquisition or relocation in this subproject. However, there is likely to be temporary disruption to income generation activities. If a livelihood/ business activity has to be completely shut down due to construction activity, the affected business will be compensated for lost income. A survey confirming the same will be conducted by the CMRC.

इस प्रोजेक्ट में कोई भूमि अधिग्रहण या विस्थापन नहीं है. फिर भी, आमदनी अर्जन की गतिविधियों में अस्थाई बाधा होने की सम्भावना है. यदि जीवन-यापन / बिजनेस गतिविधी, निर्माण कार्य के कारण पूरी तरह से बंद करनी पड़े, तो प्रभावित बिजनेस की आमदनी की हानि की भरपाई की जाएगी. इस बात को सुनिश्चित करने वाला एक सर्वे CMRC के द्वारा किया जायेगा.

9. The R&R cost for this subproject is Rs.17,54,434.00. A sum of 3 million USD has been provided for all R&R related activities including grievance for the project. The Entitlement Matrix for this sub-project is given in Table1.DJB has established a PSC, which will be chaired by the member (Water Supply). A PMU headed by a program director at the rank of chief engineer (Project Water) will be established under the PSC. A PIU has been established under the overall management of the PMU and will act as the implementing agency.The program manager will head the PIU and oversee the investment program, and the day-to-day management and implementation of the program. The PIU will be assisted by a PMC in the implementation, management and monitoring of the investment program. The PIU will appoint the CMRC to assist in program implementation. The PIU staff will include a safeguard officer, who will be an assistant engineer rank officer, and will be responsible for all environment, health and safety, social, and grievance redress tasks. Environmental and social safeguard specialists of the PMC will assist the safeguard officer.

इस उप-परियोजना / सब-प्रोजेक्ट के लिए R&R लागत 17,54434.00 रुपये है. प्रोजेक्ट के लिए ग्रिएवेंस / राहत को शामिल करते हुए सभी R&R सम्बंधित गतिविधियों के लिए राशी 30 लाख अमरीकी डॉलर प्रदान किये गए हैं. इस प्रोजेक्ट के लिए (एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स) हकदारी सांचा, तालिका 1 में दिया गया है. DJB ने एक कार्यक्रम परिचालन समिति (PSC) की स्थापना की है, (जल आपूर्ति) सदस्य जिसके अध्यक्ष होगें. मुख्य अभियंता रैंक (प्रोजेक्ट वाटर) के प्रोग्राम डायरेक्टर के नेतृत्व में एक PMU, PSC के अंतर्गत स्थापित की जाएगी. प्रोगाम क्रियान्वन इकाई (PIU), की स्थापना, PMU के समग्र प्रबंधन के तहत की गयी है और यह एक क्रियान्वन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी. एक प्रोग्राम मैनेजर PIU का नेतृत्व करेगें और निवेश कार्यक्रम तथा प्रोग्राम तहत दिन-प्रति-दिन प्रबंधन और क्रियान्वन की निगरानी करेगें. निवेश कार्यक्रम के क्रियान्वन, प्रबंधन और निगरानी करने में PMU के द्वारा PIU की मदद की जाएगी. PIU कार्यक्रम के क्रियान्वन में मदद के लिए CMRC नियुक्त करेगी. PIU स्टाफ में एक सुरक्षा उपाय अधिकारी, शामिल होगा जो सहायक अभियंता रैंक का अधिकारी होगा, और सारे पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक, तथा शिकायतों के समाधान के कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा. PMC के पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ सुरक्षा अधिकारी की मदद करेगें.

10. The program will be implemented over 8 years, from July 2017 to July 2025. In line with the principles laid down in this resettlement framework, the executing agency and implementing agency will ensure that program activities are synchronized between the resettlement plan implementation activities and the subproject implementation. The executing agency and implementing agency will ensure that no physical or economic displacement of DPs will occur until: (i) compensation at full replacement cost has been paid to each displaced person for project components or sections that are ready to be constructed; (ii) other entitlements listed in the resettlement plan are provided to the DPs; and (iii) a comprehensive income and livelihood rehabilitation program, supported by an adequate budget, is in place to help DPs improve, or at least restore, their incomes and livelihoods.

कार्यक्रम जुलाई 2017 से जुलाई 2025 तक 8 वर्षों के दौरान क्रियान्वित होगा. इस पुनर्वास सांचे / ढांचे में दिए गये नियमों / सिद्धांतो के अनुरूप, कार्यकारी एजेंसी और क्रियान्वन एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि प्रोग्राम की गतिविधियां पुनर्वास प्लान क्रियान्वन गतिविधियों और उप-परियोजना / सब-प्रोजेक्ट के क्रियान्वन के बीच में समन्वित / सिंक्रोनाइज़ हों. कार्यकारिणी एजेंसी और क्रियान्वन एजेंसी सुनिश्चित करेगीं, DPs को तब तक कोई

शारीरिक या आर्थिक विस्थापन नहीं हो जब तक (i) निर्माण के लिए तैयार प्रोजेक्ट घटकों या सेक्शन के लिए प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को पूरी रिप्लेसमेंट / प्रतिस्थापन लागत, मुआवजा नहीं मिले जाए, (ii) रीसेटलमेंट प्लान में दूसरे सूचीबद्ध हक़ DPs को प्रदान नहीं कर किये जाएँ और (iii) जब तक कि DPs के लिए सुधार, उचित या कम से कम उनकी आय और जीविका के पुनरुत्थान की मदद के लिए, आय और जीविका के व्यापक कार्यक्रम अस्तितिव में नहीं लाये जा चुके हो.

Table 1: Entitlement Matrix

तालिका 1 : हकदारी का सांचा / एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स

Type of Loss हानि का प्रकार	**Identification of DPs** DPs की पहचान	**Details** विवरण
H.	**Additional Support to Vulnerable Groups** असुरक्षित / कमजोर / संवेदनशील समूहों को अतिरिक्त सहायता	
H.1. Further assistance to all vulnerable groups सभी असुरक्षित / कमजोर / संवेदनशील समूहों को भावी अतिरिक्त सहायता	Households categorized as vulnerable.[1] असुरक्षित / कमजोर / संवेदनशील के रूप में घरों / परिवारों का वर्गीकरण	1. Additional one-time assistance of INR18,000[2] per vulnerable household will be paid. This will be over and above the other assistance given in this framework; असुरक्षित / कमजोर / संवेदनशील घर / परिवारों को, 18,000 रुपये की एक-मुश्त अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी. यह इस सांचे में दी गयी दूसरी सहायताओं के अलावा, अलग से दी जाएगी. 2. Vulnerable households will be given priority for potential employment in the project construction activities. असुरक्षित / कमजोर / संवेदनशील घर / परिवारों को, प्रोजेक्ट निर्माण कार्यों में संभावित रोजगार में वरीयता प्रदान की जाएगी.
I.	**Temporary Impacts**	
I.3.Temporary loss of livelihood जीविका की अस्थाई हानि	Business owners, tenants, leaseholders, employees, hawkers/ vendors बिजनेस के मालिक, किरायेदार, लीजहोल्डर, फेरीवाले, वेंडर	1. During work plan submission, it will be ensured all precautions are taken in the design, execution and actual implementation of works to ensure that access to business premises and residences, schools and other community assets are maintained at all times. वर्कप्लान सबमिशन / कार्य योजना के जमा करने के दौरान, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि डिजाईन, कार्य करने, और वास्तव में कार्य को लागू करना यह सुनिश्चित करे कि बिजनेस परिसर, आवासों, स्कूल और अन्य सामुदायिक सम्पतियों तक पहुँच सभी समय बनी रहें.

[1] Vulnerable are those households that are BPL, the elderly-above 60 years of age, female headed households, physically handicapped and scheduled castes.
[2] Calculated on 50% of the subsistence allowance.

Type of Loss हानि का प्रकार	**Identification of DPs** DPs की पहचान	**Details** विवरण
		2. For shops or informal businesses experiencing full closure of commercial activity due to project construction activities, one-time cash assistance equal to the loss of net income during period of disruption will be provided. प्रोजेक्ट निर्माण की गतिविधी से दुकानों या बिजनेस को पूरे समय बंद होने के अनुभव का सामना करने पर बाधित अवधी के दौरान, आय के शुद्ध नुकसान के बराबर एक-मुश्त नकद सहायता प्रदान की जाएगी.
J.	**Other Unanticipated Impacts** दूसरे अप्रत्याशित प्रभाव	
J.1.Temporary impacts during construction निर्माण के दौरान अस्थाई प्रभाव	All DPs सभी DPs	1. The provisions in this entitlement matrix will be followed for any impact on structures or land due to movement of machinery etc. during construction or the establishment of construction plant; निर्माण प्लांट के निर्माण या की ईमारत / एस्टाब्लिश्मेंट के निर्माण के दौरान मशीन आदि के मूवमेंट (अवागमन) से भवन/ स्ट्रक्चर या जमीन पर हुए किसी भी प्रभाव के लिए प्रावधान का अनुपालन, इस हकदारी सांचे में से किया जायेगा. 2. Compensation for standing crops and trees as per the market rate; खड़ी फसलों और वृक्षों का मुआवजा बाजार कीमत के अनुसार. 3. Time bound restoration of land to its previous or better quality; इसकी पिछली क्वालिटी या बेहतर क्वालिटी तक भूमि का समयबद्ध पुनरुत्थान 4. The Project will maintain access to all properties and businesses at all times. प्रोजेक्ट हर समय सभी सम्पतियों और बिजनेस तक पहुंच (आने जाने का रास्ता) बना कर रखेगा
J.2.Any unanticipated impacts due to project intervention प्रोजेक्ट के हस्तक्षेप के कारण कोई		1. Any unanticipated impacts of the project will be documented and mitigated based on the spirit of the principles agreed upon in this resettlement framework and the RFCTLARRA 2013. प्रोजेक्ट के कोई भी अप्रत्याशित प्रभावों के दस्तावेज बनाये जायेगें और इस RF तथा RFCTLARRA 2013 सहमत नियमों के आधार पर नियमों / सिद्धांतो की प्रेरणा के आधार पर उनकी गंभीरता को कम किया जायेगा.

Type of Loss हानि का प्रकार	**Identification of DPs** DPs की पहचान	**Details** विवरण
अप्रत्याशित प्रभाव		